टिकट पृष्ठभाग पर चस्पा है।

30

वक्ता कार्यालय सागर
दि० 29-9-14 को प्राप्त।
29-9-14

राजस्वमंडल
न्यायालय श्रीमान ~~अतिरिक्त कमिश्नर महोदय~~, सागर केम्प

R.3472-I/14

B.O.R.

1 SEP 2014

श्री राजीव कुमार ... सहायक ... कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

१- श्रीमति लक्ष्मी पत्नि विश्वनाथ केशरवानी
२- श्रीमति सुषमा पत्नि नंदकिशोर केशरवानी
दोनो निवासी जवाहरगंज वार्ड, सागर
तहसील व जिला सागर (म०प्र०) == == पुनरीक्षणकर्तागण

|| विरुद्ध ||

१- रामेश्वर वल्द स्व० महादेव प्रसाद रावत
२- चन्द्रशेखर वल्द स्व० महादेव प्रसाद रावत
३- केदारनाथ वल्द स्व० महादेव प्रसाद रावत
तीनो निवासी विवेकानंद वार्ड, सागर
तहसील व जिला सागर (म०प्र०)
४- आशीष वल्द कोमलचंद मायजी
निवासी रामपुरा वार्ड, सागर तह०व जिला सागर
५- मध्यप्रदेश शासन
द्वारा- कलेक्टर, सागर (म०प्र०) == == अनावेदकगण

136
26-09-14

1-10-14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण माननीय अपर कलेक्टर, सागर के राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक ०८/अ-६(अ) २०१०-११ पक्षकार रामेश्वर व अन्य वि० म०प्र० शासन व अन्य मे पारित संशोधित आदेश दिनांक ०४/१०/२०१३ सहपठित आदेश दिनांक १२/०७/०११ से दुखित होकर निम्न आधारो पर यह पुनरीक्षण पेश करते हैं-

१- यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्तागण ने मौजा पथरिया हाट की भूमि ख०न० २४६ रकवा ०-५७ हे० दिनांक ८/६/८४ को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अमित कुमार से खरीद कर कब्जा पाया था।

(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3472-एक/2014 जिला सागर लक्ष्मी विरूद्ध रामेश्वर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
CA/ ~~03-01-2018~~ 03/01/2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजीव धाकड़ उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 08/अ-6(अ)/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 04-10-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-09-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 3.1.19
सदस्य